

कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
-: : जिला – बस्तर (छ0ग0) : :-

Phone No / Fax No.- 07782 - 222520
क्रमांक/EMRS / 1846 / 2023-24

Email- actd.jdp@gmail.com
जगदलपुर, दिनांक 13/04/2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher)/ छात्रावास
अधीक्षक (निश्चित मानदेय) की व्यवस्था हेतु

-: विज्ञप्ति सूचना :-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ0ग0 के अन्तर्गत जिला बस्तर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों (फ्रेस अभ्यर्थी/सेवानिवृत्त शिक्षकों)/छात्रावास अधीक्षक (निश्चित मानदेय) की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

विज्ञापनका विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाईट <http://www.eklavya.cg.nic.in/> या जिले के वेबसाईट www.Bastar.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
आवेदन संबंधित तिथियां

क्र०	विवरण	आवेदन की अंतिम तिथि
1.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	12. 05. 2023



कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-बस्तर, (छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

— : जिला - बस्तर (छ.ग.) : —

Phone No / Fax No.- 07782 - 222520

Email- actd.jdp@gmail.com

क्रमांक/EMRS / 1866 / 2023-24

जमदलपुर, दिनांक 13/04/2023

जिला स्तरीय समिति बस्तर के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक
सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक/ छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु

— : विज्ञप्ति सूचना :—

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य
स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला बस्तर में जिला
स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षक की आवश्यकता की पूर्ति
हेतु अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा फ्रेश
अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से "प्रतिकालखंड" आधार पर "अतिथि शिक्षको" (Guest Teacher) एवं
निश्चित मानदेय पर "छात्रावास अधीक्षक" लिया जाना है।

1. रिक्तियों की संख्या - कुल विषयवार शिक्षको एवं छात्रावास अधीक्षक की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार
है, जो परिवर्तनीय है :-

क्र०	जिला	विकास खण्ड	एकलव्य विद्यालय का नाम	पी.जी.टी.								टी.जी.टी.					छात्रावास अधीक्षक		योग		
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीवविज्ञान	वाणिज्य	कम्प्यूटर	साइंस	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सा.विज्ञान		पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	बस्तर	बकावण्ड	करपावण्ड	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	05	
2		बस्तर	बेसोली	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
3		लोकापाल	लोकापाल	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4		लोहण्डीगुडा	गडिया	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	9
5		बास्तानार	बास्तानार	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6		दरमा	दरमा	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		योग		2	2	5	1	1	5	1	2	6	6	5	6	5	5	4	5	61	

2. पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

(1) TGT :-

- i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की डिग्री।
 - TGT (तीसरी भाषा) – स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिये।
 - TGT (अंग्रेजी) – स्नातक में एक विषय अंग्रेजी होना चाहिये।
 - TGT (हिंदी) – स्नातक में एक विषय हिंदी होना चाहिये।
 - TGT (गणित) – मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।
 - TGT (सामाजिक विज्ञान) – स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी दो मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिये – भूगोल/अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र/इतिहास जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिये।
 - TGT (विज्ञान) – बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से किन्हीं दो विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री।
- ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।
- iii. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET Paper-II) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Paper-II) में पात्रता।

2) PGT:-

- i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 02 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।
 - PGT (अंग्रेजी) – अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिये।
 - PGT (हिंदी) – हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी हिंदी विषय होना चाहिये।
 - PGT (गणित) – गणित या एप्लाइड गणित में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी गणित विषय होना चाहिये।
 - PGT (भौतिकी) – भौतिकी/एप्लाइड भौतिक/न्यूक्लियर भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी भौतिकी विषय होना चाहिये।
 - PGT (रसायन विज्ञान) – रसायन विज्ञान/जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी रसायन विषय होना चाहिये।
 - PGT (जीव विज्ञान) – बॉटनी/जियोलॉजी/लाईफ साइंस/बायो साइंस/जेनेटिक्स/माइक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी/मॉलिक्यूलरबायो/प्लांट फिजियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी बॉटनी एवं जियोलॉजी विषय होना चाहिये।

- PGT (वाणिज्य) – वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो । स्नातक स्तर पर भी वाणिज्य विषय होना चाहिए। हालांकि एप्लाइड एम.कॉम./बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे ।
- PGT (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) – बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस/आईटी)/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साईंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एम.टेक डिग्री धारक।
- ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

वांछनीय योग्यता:-

- हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।
- शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

3) छात्रावास अधीक्षक:-

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री ।

वांछनीय योग्यता :- 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर या बी0एड0
2. शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव ।

3. आयु की गणना :-

फ्रेश अग्यर्थी शिक्षक

- (अ) पीजीटी और टीजीटी के लिए – 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है
- (ब) छात्रावास अधीक्षक के लिए – न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष है

सेवा निवृत्त शिक्षक

- (अ) सेवा निवृत्त शिक्षकों के लिए – अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष (01 अप्रैल 2023 की स्थिति में) होगी। बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हो। चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

4. चयन प्रक्रिया:-

1. जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता/साक्षात्कार (आयोजित होने पर) एवं अन्य अतिरिक्त प्रस्तावित अंको के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जायेगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा। साक्षात्कार आयोजित होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता हेतु प्रस्तावित अंको में से 90 प्रतिशत अंक अधिभार के रूप में जोड़े जायेगे एवं 10 अंक साक्षात्कार हेतु आबंटित होंगे।
2. जिला स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 02 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
3. आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रम से विद्यालय चयन करन होगा।

5. चयन समिति:-

जिला स्तर पर आवेदन पत्रों के जाँच/परीक्षण/ मेरिट सूची आदि तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति होगी:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति द्वारा नामांकित 01 प्रतिनिधि | - अध्यक्ष |
| 2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना | - सदस्य |
| 3. जिला शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| 4. जिला स्तरीय से एक शिक्षाविद् (कलेक्टर द्वारा नामांकित) | - सदस्य |
| 5. विद्यालय/ महाविद्यालय से एक विषय विशेषज्ञ | - सदस्य |
| 6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास | - सदस्य |
| 7. प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (01 प्राचार्य) | - सदस्य |

6. योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदण्ड:-

अ. पी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2	स्नातक के अंको का	30%
3	स्नातकोत्तर के अंको का	50%
	अतिरिक्त अंक	
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु- 03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम-05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट - छः के अनुसार)	03 वर्ष - 03 अंक 04 वर्ष - 04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष - 05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक

ब. टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1.	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2.	स्नातक के अंको का	50%
3.	स्नातकोत्तर के अंको का	30%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु-03 अंक, 04 वर्ष हेतु, 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम-05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थानों का प्रमाण पत्र का प्ररूप परिशिष्ट-छः के अनुसार)	03 वर्ष - 03 अंक 04 वर्ष - 04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष -05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक

7. **अनुभव :-** अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन) / शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। (परिशिष्ट-छः)
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों/ अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

8. **नियुक्ति के संबंध में :-**

1. पैनल लिस्ट के अतिथि शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहाँ उन्हें रिक्ति/छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर लिए जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्ति के मामले में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।

9. **मानदेय :-**

- फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक - पारिश्रमि/मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान/कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।

- **पारिश्रमिक:-**

- (अ) पी.जी.टी. एवं टी.जी.टी. हेतु -

पी.जी.टी.- Rs.320/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रु. 45000/- प्रतिमाह के मान से एवं टी.जी.टी.-Rs.300/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रु. 42000/- प्रतिमाह के मान से।

अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखण्ड प्रति दिन और अधिकतम 6 कालखण्ड आवंटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन तक सीमित किया जाता है।

- (ब) छात्रावास अधीक्षक-

Rs. रु. 1200/- प्रति दिवस या अधिकतम रु. 36000/- प्रतिमाह के मान से।

- सेवानिवृत्त शिक्षक - पारिश्रमिक का भुगतान:- सेवा निवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नवोदय विद्यालय (एनवीएस)/केन्द्रीय विद्यालय(केवीएस) और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50% जहां पेंशन लागू है। निजी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में जहां पेंशन लागू नहीं है, के लिए अधिकतम पी.जी.टी. हेतु Rs. 45000/-, टी.जी.टी. हेतु Rs. 42000/- एवं छात्रावास अधीक्षक हेतु Rs. 36000/- का पालन किया जाना है।

10. सामान्य निर्देश :-

(अ) अतिथि शिक्षकों हेतु :-

- छात्रावास अधीक्षक को गर्मी और सर्दियों की छुट्टी और शरद ऋतु की छुट्टी या लगातार 15 या अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जाएगा और इसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।
- अतिथि शिक्षकों के कार्य के घटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे। अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक/पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।
- अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर) नि:शुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

- v. एकलव्य विद्यालय में नियमित शिक्षक/पदधारी के शामिल होने के मामले में, जहां अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, अतिथि शिक्षक को अन्य एकलव्य विद्यालय में तैनात किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्ति मौजूद हो, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक ने आवेदन पत्र में उस एकलव्य विद्यालय के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि अतिथि शिक्षकों की कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकता है।
- vi. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।
- vii. राज्य स्तरीय समितियां शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

(ब). सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु :-

- i. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
- ii. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा।
- iii. सेवानिवृत्त शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
- iv. एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।
- v. सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक/पदधारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्चा, खेल गतिविधियों, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि के लिए छात्रों को तैयार करना।
- vi. सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों को एक अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- vii. सेवानिवृत्त शिक्षक को उनकी उपलब्धता के आधार पर मुफ्त आवास (व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर) प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबंध की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- viii. एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आने वाले वर्षों के सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। तथापि, यदि अन्यथा पात्र हों तो उन्हें प्रत्येक वर्ष किसी अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

11. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश:-

- i. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
- ii. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- iii. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति <http://www.eklavya.cg.nic.in/> एवं संबंधित जिले

- के वेबसाइट www.Bastar.gov.in पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
- iv. किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
- v. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

12. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जावेगा, जो <http://www.eklavya.cg.nic.in/> पर तथा जिला के वेबसाइट www.Bastar.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक-पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24 लिखा जाना अनिवार्य होगा।

13. आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

क्र.	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	12.05.2023

सहायक प्रमुख/सचिव
 कलेक्टर/अधीक्षक जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण
 आदिम जाति कल्याण
 आवासीय एवं आश्रम शिक्षणिक संस्थान समिति (उ.ग.)
 जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़

// फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची //

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
6. CTET/TET उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छ: के अनुसार)

// सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची //

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
6. CTET/TET उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छ: के अनुसार)
8. सेवा निवृत्त शिक्षक हेतु - उसके सेवा निवृत्ति के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उनके सेवा निवृत्ति की तिथि तथा उसके कार्यव्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट - पांच के अनुसार)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालिन अतिथि शिक्षक के फेश
अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र -वर्ष 2023-24

1. आवेदित जिले का नाम :
2. संवर्ग का नाम : शैक्षणिक संवर्ग
3. आवेदित पदनाम :
4. नाम :
5. लिंग (महिला / पुरुष / ट्रांसजेंडर) :
6. पिता / पति का नाम :
7. जाति / वर्ग :
- (अ.ज.जा / अ.जा. / अ.पि.व. / निशक्त / आर्थिक पिछड़ा / सामान्य)
8. जन्म तिथि :
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु):
10. पत्राचार का पूर्ण पता :
11. मोबाईल नं. :
12. ई-मेल आईडी :
13. आधार नंबर है :- :

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में / ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रजी
1.	High school							
2.	High Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7.	Other							

15. अनुभव:
 - (अ) क्या आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक विद्यालय कार्य का अनुभव है हां / नहीं

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	अवधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

16. पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम:-

EMRS के विकल्प:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु आवेदन पत्र - वर्ष 2023-24

1. आवेदित जिले का नाम :
2. संवर्ग का नाम : शैक्षणिक संवर्ग
3. आवेदित पदनाम :
4. नाम :
5. लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेंडर) :
6. पिता/पति का नाम :
7. जाति/वर्ग :
8. (अ.ज.जा/अ.जा./अ.पि.व./निशक्त/आर्थिक पिछड़ा/सामान्य)
जन्मतिथि :
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) :
10. पत्राचार का पूर्ण पता :
11. मोबाईल नं. :
12. ई-मेल आईडी :
13. वर्तमान में किस शाला/संस्था में पदस्थ है- :
14. मूल विभाग का नाम :
15. शैक्षणिक योग्यता :

क्र०	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में/ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी /अंग्रेजी
1.	High school							
2.	High.Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7.	Other							

**सेवा में निवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवा निवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु
पद संस्था का नाम विभाग
सेवा निवृत्त के समय अंतिम वेतनमान रु से
सेवा निवृत्त हुआ/हुई है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच,
अपराधिक, न्यायालयीन प्रकरण, दण्ड आदि नहीं है। इनके पांच वर्ष का गोपनीय
प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

दिनांक वर्ष 2021 2020 2019 2018 2017

स्थान

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के
पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

परिशिष्ट - "छः"

**कार्यालय का नाम
फोन/फैक्स नंबर**

क्र.....

दिनांक

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु
आत्मज श्री जिला राज्य
ने विद्यालय में पद पर
..... विषय का दिनांक से तक वर्ष
..... माह अध्यापन कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा।

प्राचार्य का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
नाम
पद
सील